कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।

E-mail-csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax-(05962)230229

पत्रांक 1101 / 13-1 अल्मोड़ा दिनांक 08/09/2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 22.09.2021 के सांय 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 4.00 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत प्रभागीय निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 21.09.2021 तक प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की लागत रू0 में	नेक जमानत की धनराशि (रू0में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की तिथि	ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
1	बिन्सर वन क्षेत्र के अयारपानी में एक मॉडल क्रू-स्टेशन हेतु पूर्व निर्मित भवन में मरम्मत कार्य तथा भण्डार, शौचालय एवं गैरेज निर्माण कार्य	17,20000	35000	500+18% जी0एस0टी0 सहित	30 नवम्बर 2021	डी एवं उच्च स्तर

निविदा की शर्ते व निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है तथा कार्य का प्राकलन भी।

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1– नेक जमानत की धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंकों की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पदनाम से बंधक होनी अनिवार्य है।

2– सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण भरी निविदा भी मान्य नहीं होगी।

3– निविदा हेतु निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर दिनांक 21.09.2021 तक रू0 500+18% जी0एस0टी0 से क्रय किये जा सकते है।

4– निविंदा स्वीकृत के उपरान्त अनुबन्ध सम्बन्धी शासकीय वसूलियां तथा जी0एस0टी0 रौयल्टी अन्य नियमानुसार ठेकेदार द्वारा देय होगी।

5– निविंदा दरें प्रतिशत (कमी/अधिक) में करनी अनिवार्य है।

6– निविदा मोहर बन्द लिफापा के बाहर कार्य का नाम अंकित करना आवश्यक है।

7– निविदा स्वीकृत की सूचना भेजने के उपरान्त निर्धारित अविध के भीतर अनुबन्ध तथा जमानत जमा नहीं करने पर धरोहर धनराशि जप्त की जायेगी।

8– निविदा दाताओं को परामर्श दिया जाता है कि निविदा देने से पूर्व स्थल की स्थिति एवं कार्य आदि का भलि भांति देख ले, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्य आदि के बारे में लगाई गई कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9– कार्य सन्तोष जनक होने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

10– किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये हुए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा को सुरक्षित होगा।

11– विवाद की स्थिति में वन सरक्षंक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

12– निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार ही जायेगी। डाक के विलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

13– निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री आगणन में दी गई विशिष्टयों के अनुसार लगानी होगी।

14– नियम समय तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में कुल लागत का 0.1 प्रतिश त प्रतिदिन के आधार पर विलम्ब शुल्क देना होगा।

15– कार्य पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार देय नहीं होगा।
16– किसी भी शर्त में शिथिलता देने हेतु अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
17– निविदा प्रपत्रों के साथ निविदादाता द्वारा पैन नम्बर, आधार नम्बर, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र तथा किसी भी राजकीय निर्माण विभागों द्वारा प्रदत्त तथा ठेकेदार श्रेणी प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
18– यदि उच्च स्तर से उक्त कार्य किसी अन्य कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा/कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते है तो उक्त निविदा को निरस्त करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
19– उक्त कार्य हेतु उच्च स्तर से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति में स्वीकृत धनराशि ही कार्य की अन्तिम लागत मानी जायेगी तथा उसी आधार पर निविदादाता को कार्य करना होगा। इस हेतु कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1101 / 13-1 दिनांकित ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, वृहत प्रचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0सैल0, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4– मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
5– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
6– जिला अधिकारी, अल्मोड़ा ।
7– वन क्षेत्राधिकारी, बिन्सर।
8– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9– प्रभागीय मानचित्रकार/प्रभारी लेखा, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
10–नोटिस बोर्ड।

(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।